


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना उनवानी बेगराज वगै० बनाम ज्ञानचन्द वगै० मु.सं. 103/2021	नम्बर व तारीख अहकाम हुकम की तामील में जारी हुए
08-10-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार पाटन से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। दौरान बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम किशोरपुरा के गत खसरा नम्बर 314 रकबा 0.72 हैक्टेयर में सहमति खाता विभाजन के जरिये नामान्तरकरण संख्या 422/22.12.2005 द्वारा 314/1 रकबा 0.36 हैक्टेयर सुल्तान पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर व 314/2 रकबा 0.36 हैक्टेयर सोनी देवी पत्नी ग्यारसीलाल, रोहिताश, ज्ञानचन्द, बलबीर, मुकेश जाति गुर्जर के पक्ष में दर्ज हुआ।</p> <p>द्वितीय भू-प्रबन्ध के बाद गत खसरा नम्बर 314 से नये खसरा नम्बर 525 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चाह तथा खसरा नम्बर 526 रकबा 0.71 हैक्टेयर किस्म चाही 3 बने, जहां राजस्व रिकॉर्ड में प्रकरण से सम्बन्धित कुआं खसरा नम्बर 525 अस्तित्व में आया और उपरोक्त खाता विभाजन के नामान्तरकरण का अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के संधारण के दौरान हुआ जहां 526 रकबा 0.71 हैक्टेयर किस्म चाही 3 से 526/1 रकबा 0.36 हैक्टेयर किस्म चाही 3 खसरा नम्बर 526/2 रकबा 0.35 हैक्टेयर किस्म चाही 3 बने। खसरा नम्बर 526/1 वादी की खातेदारी व 526/2 के साथ-साथ मूल खाते में स्थित खसरा नम्बर 525(गै.मु.चाह) प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ। उक्त कुअें (नया खसरा 525) का खाता विभाजन से कोई सम्बन्ध नहीं था। खसरा नम्बर 525 (कुआं) राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटटा व मौका स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 526/1 में स्थित है तथा पडौसी काशतकारों से पूछताछ व मौका निरिक्षण में पाया कि खसरा नम्बर 526/1 के काशतकार उपरोक्त खसरा 525 में बने कुअें का उपभोग कर रहे हैं।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खाता विभाजन के नामान्तरकरण संख्या 422/22.12.2005 में विभाजित गत खसरा नम्बर 314/1 का रकबा 0.36 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 314/2 रकबा 0.36 हैक्टेयर दर्ज हुआ। चूकि कुअें का रकबा गत खसरा नम्बर 314/1 (नया खसरा 526/2) के रकबा 0.36 हैक्टेयर में स्थित है। जिसके चलते नया खसरा नम्बर 525 की खातेदारी खसरा नम्बर 526/1 के साथ दर्ज कर, 526/1 का रकबा 0.35 हैक्टेयर (खसरा नम्बर 525 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 526/1 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर) दर्ज किया जाना तथा खसरा नम्बर 526/2 का रकबा विभाजन अनुसार 0.35 हैक्टेयर के स्थान पर 0.36 हैक्टेयर दर्ज किया जाना उचित है।</p>	

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (जी.टी.)

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:-

आदेश

ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का डूंगा की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 525 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर (फ़ास्ट ट्रैक)
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इत्दादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना
1. वेगराज पुत्र सुल्तान जाति गुर्जर निवासी ढाणी रूद की तन किशोरपुरा तहसील पाटन
जिला सीकर।

-वादीगण-

बनाम
1. ज्ञानचन्द पुत्र ग्यारसीलाल जाति गुर्जर निवासी ढाणी रूद की तन किशोरपुरा तहसील
पाटन जिला सीकर।

-प्रतिवादीगण-

मुकदमा नम्बर- 103/2021
दावा बाबत घोषणा


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट वादीगण
मिनजानिब गुददई रूब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का डूंगा की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त
आराजी खसरा नम्बर 525 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर में वादीगण को खातेदार
घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

निज.....*.....मुबलिंग.....*.....बाबत.....*.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....*.....फीसदी सालाना आज
की तारीख से तारीख अदायगी तक.....*.....को अदा करें। बसख्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर


दस्तखत
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (सी.टी.)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.	
स्टाम्प अर्जी दावा	/		स्टाम्प अर्जी दावा	/		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी			
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील			
महनताना वकील			खर्चा गवाहान			
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर			
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय			
बाबत इजराय			हुक्मनामा			
हुक्मनामा			मुतफरिक			
मुतफरिक						
मीजान						

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया
गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।